तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/712/2004/बून्दी सरकार बनाम नन्दकिशोर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित
श्रीमती पूनम माथुर, अति.राजकीय अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 25.08.2020

अपीलार्थी ने यह अपील धारा 23(2) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01–04–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार के0पाटन ने कौशल्या बाई बेवा श्रीलाल ब्राहमण निवासी कापरेन के विरूद्ध सीलिग अधिनियम, 1966 के तहत कार्यवाही करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिस पर सहायक कलक्टर, बून्दी ने अपने निर्णय दिनांक 14–07–1982 से कार्यवाही समाप्त कर दी। मृत्यु प्रमाणपत्र अनुसार कौशल्या बाई की मृत्यु दिनांक 2–6–1973 को हो चुकी तथा कौशल्या बाई की मृत्यु के बाद उसके खाते की कापरेन स्थित 46बीघा 03बिस्वा भूमि के 1/2हिस्से के खातेदार श्रीमती कौशल्या बाई के कायम मुकाम श्री रामचरण हुआ तथा ग्राम ढीकोली की 90बीघा 17बिस्वा भूमि जो कौशल्या बाई के नाम थी उसका भी खातेदार श्री रामचरण ही हुआ। अर्थात् कौशल्या बाई की मृत्यु दिनांक 2–6–1973 के बाद रामचरण के खाते कुल 137बीघा भूमि दर्ज है। सहायक कलक्टर, के0पाटन ने अपने निर्णय दिनांक 02–12–1999 से दिनांक 1–1–1973 को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/712/2004/बून्दी सरकार बनाम नन्दकिशोर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ही रामचरण के खाते में 137बीघा भूमि मानते हुए दिनांक 1–1–1973 को रामचरण के परिवार में पांच सदस्य मानते हुए उसे सिर्फ 27एकड भूमि प्राप्त करने का ही अधिकारी माना है एवं शेष भूमि 21.24एकड भूमि अधिग्रहण के आदेश प्रदान किये। इस निर्णय के विरूद्ध के प्रत्यर्थीगण ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 1–4–2002 से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2–12–1999 को निरस्त करते हुए सीलिंग कार्यवाही समाप्त कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य अति राजकीय अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि उनका कथन है कि कौशल्या की मृत्यु के पश्चात् उसके द्वारा धारित की जा रही समस्त भूमि विरासत के द्वारा उसके पुत्र रामचरण को प्राप्त हो गयी थी, इस कारण सीलिंग प्रावधानों के अनुसार रामचरण को जो भूमि प्राप्त हुई एवं उसके खाते में दर्ज की गयी, उसे दिनांक 1–1–1973 को धारिज होना मानते हुए सीलिंग प्रकरण का निस्तारण सहायक कलक्टर द्वारा करते हुए भूमि अधिग्रहण के आदेश पारित किये गये थे, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं थी। उनका कथन है कि रामचरण को विरासत में 137बीघा भूमि प्राप्त हुई थी एवं उसके परिवार में पांच सदस्य होने के कारण वह केवल 27 एकड भूमि ही धारित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/712/2004/बून्दी सरकार बनाम नन्दकिशोर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	करने का अधिकारी था। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र के मद्देनजर विलम्ब के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर सीलिंग कार्यवाही को समाप्त किया जाकर सहायक कलक्टर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2-12-1999 को बहाल रखा जावे। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि दिनांक 1-1-1973 को भूमिधारी रामचरण की मां कौशल्या बाई जीवित थी एवं रामचरण स्वयं व्यस्क था इस कारण दो यूनिट अर्थात् 54 एकड भूमि धारण करने का अधिकारी है जबकि उसके खाते में मात्र 48.24एकड भूमि ही दर्ज है। उनका कथन है कि सहायक कलक्टर द्वारा इन तथ्यों की अनदेखी करते हुए भूमि अधिग्रहण करने के आदेश पारित कर दिये, जो तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य था। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में 1994 आरआरडी पेज 686 एवं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/712/2004/बून्दी सरकार बनाम नन्दकिशोर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1990 आरआरडी पेज 646 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रभारी अधिकारी श्री ओमप्रकाश जांगीड के शपथपत्र के मद्देनजर विलम्ब के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियां एवं पारित निर्णय तथा उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्रीमती कौशल्या बाई का देहान्त दिनांक 2-6-1973 को हो चुका था, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उलपब्ध महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा के मृत्यु प्रमाणपत्र से होती है। उक्त से स्पष्ट है कि दिनांक 1-1-1973 को श्रीमती कौशल्या बाई जीवित थी। भूमिधारी रामचरण के खाते ग्राम कापरेन की 46बीघा 03बिस्वा भूतमि का 1/2 हिस्सा कौशल्या की मृत्यु दिनांक 2-6-1973 के बाद ही आया है। इस प्रकार निर्धारित तिथि 1-1-1973 को ही भूमिधारी के खाते में 137बीघा भूमि मान लिया जाना विधिसम्मत् नहीं है। नये अधिनियम के अन्तर्गत सीलिंग प्रकरण का निर्धारण करते समय अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर ने भूमिधारी की माता के जीवित रहते हुए उसकी समस्त भूमि को दिनांक 1-1-1973 को ही भूमिधारी की मानकर निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है क्योंकि दिनांक 1-1-1973 को भूमिधारी की माता कौशल्या बाई दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार जीवित थी।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/712/2004/बून्दी सरकार बनाम नन्दकिशोर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सीलिंग अधिनियम की यह मंशा नहीं है कि दिनांक 1-1-1973 को भूमिधारी के पास सीलिंग सीमा सेकम भूमि है तथा उसे उत्तराधिकार या अन्य किसी कानून से उसके पश्चात् कोई भूमि प्राप्त होती है तो ऐसी भूमि को खातेदार के पास दिनांक 1-1-1973 से ही मानी जावेगी। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त 1994 आरआरडी पेज 686 में निम्नानुसार अभिमत प्रतिपादित किया है - Rajasthan Imposition of Ceiling on Agrl. Holding Act, 1973 (New Ceiling Law), Section 1(3)- Land inherited after 01.01.73 cannot be treated as a part of the holding on 01.01.73 and subjected to assessment as on that date. उक्त उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि दिनांक 1-1-1973 के बाद कोई भूमि उत्तराधिकार या अन्य कानून में प्राप्त होती है एवं दिनांक 1-1-1973 को भूमिधारी के खाते सीलिंग सीमा से कम भूमि है तो खातेदार की भूमि की गणना में उत्तराधिकार से प्राप्त भूमि को नहीं जोडा जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थीगण भूमिधारी रामचरण के वारिसान है तथा उनके पिता भूमिधारी रामचरण के खाते दिनांक 1-1-1973 को सींलिंग सीमा से कम भूमि थी तथा दिनांक 2-6-1973 को प्रत्यर्थीगण के पिता रामचरण की माता कौशल्या बाई के देहान्त उपरान्त उत्तराधिकार के आधार पर 137बीघा भूमि दर्ज हुई। प्रस्तुत प्रकरण में यह भी स्वीकृत तथ्य है कि दिनांक 1-1-1973 को कौशल्या बाई जीवित थी एवं उसका पुत्र भूमिधारी रामचरण भी व्यस्क होने से दो यूनिट अर्थात् 54 एकड भूमि धारण करने के अधिकारी है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है। योग्य अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता अपीलार्थी ने हमारे	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/सीलिंग/712/2004/बून्दी सरकार बनाम नन्दकिशोर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

समक्ष ऐसी कोई ठोस नवीन दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होना माना जा सकें। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01–04–2002 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य